


प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (UJJAIN), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

क्रमांक: 21128739 स्कूल आई.डी. - 34245  
प्रति,

दिनांक:- 30/03/2018

प्रबंधक,

(GYAN SAGAR GIRLS ACADEMY, UJJAIN)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

गहोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके स्कूल -GYAN SAGAR GIRLS ACADEMY, UJJAIN, NEAR JANTAR MANTAR CHINTAMAN ROAD, UJJAIN को कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता प्रस्तावित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता संबंधित की कोई वाध्यता करी भी रूप में प्रवक्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की रीति के बंधित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दया में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेक्षित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्ति व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्ति सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा यद्यपि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12, (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- शोराइटी स्कूल कोई भी कैंडिडेट फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अध्यापक के साथ करी छात्रवृत्त प्राप्ति को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल करी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सूत्र के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए प्रहित की गई प्रस्तावित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से करी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - करी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक करी भी बालक को करी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - करी बालक को पारीरिक या मानसिक रूप से पतासित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क प्रवेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की शर्तों की जाएगी; यद्यपि प्र वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - पायवैट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/संगी।
- स्कूल समुचित पाठ्यकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में प्रहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

MANAGER

PRINCIPAL

GYAN SAGAR GIRLS ACADEMY  
NEAR JANTAR-MANTAR CHINTAMAN ROAD

UJJAIN, NEAR JANTAR-MANTAR CHINTAMAN ROAD

UJJAIN

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में प्रनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8 स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	88000	88000
10 स्कूल का निर्भरत क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	75000	75000
11 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	63000	63000

अधिसंरचना का विवरण		पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
कक्षा	Rooms as per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1 कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा		28	408	24	408
2 कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्षा-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा		1	200	1	200
3 भोजनालय-सह-भण्डार		0	0	0	0

अन्य सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1 क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच वाधा रहित है हां/हाँ	हाँ	हाँ
2 पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3 खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4 पुस्तकों की संख्या	4000	2500
5 पत्रिकाएं/समाचार पत्र	8	3
6 पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7 पेयजल सुविधा की संख्या	1	1
8 शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/दोनों)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9 लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	0	0
10 लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	30	30
11 प्रकलांग बर्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	2
12 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? हां/हाँ	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा प्रवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के प्रवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला प्राक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..21128739.. एवं ड्राईसकोड (DISE) 23210703406 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य प्राक्षा केन्द्र/जिला प्राक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षात की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कठिनाई को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा प्राद हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला प्राक्षा, अधिकारी

जिला UJJAIN

मध्य प्रदेश

PRINCIPAL  
SAGAR GIRLS ACADEMY  
NEAR JANTAR MANTAR CH.  
UJJAIN